स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा

संख्या: पी-12011/1/2025-नीति [सीएन: 46822]

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वाँ तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 19 मार्च, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2026 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (DAIC), जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित 'केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड' की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय का संदर्भ देने और माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2026 को डीएआईसी जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित 'केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड' की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति इसके साथ संलग्न करने का निर्देश हुआ है। आपसे अनुरोध है कि संबंधित सिफारिशों के संबंध में 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

देबाला

(देबाला भट्टाचार्जी)
अवर सचिव, भारत सरकार
(ईमेल: debala.joarder@gov.in)

सेवा में,

1) **केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य**
2) **संबंधित परियोजना निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/मंत्रालय/विभाग/राज्य प्राधिकारी, जिनके लिए सिफारिशें की गई हैं।**

सादर सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1) माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निजी सचिव
2) माननीय राज्य मंत्री (बीएलवी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निजी सचिव
3) सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
4) अपर सचिव (एमकेएन)/संयुक्त सचिव (आरएस)/संयुक्त सचिव (एसएस)/उप महानिदेशक, (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के प्रधान निजी सचिव

8वें केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

08 जनवरी, 2026

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की 8वीं बैठक दिनांक 08 जनवरी, 2026 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में माननीय मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** पर है। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया।

2. सुश्री वी. विद्यावती, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार और माननीय राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा का स्वागत किया। उन्होंने बोर्ड के अन्य सदस्यों का भी गर्मजोशी से स्वागत किया, जिनमें तमिलनाडु के माननीय मंत्री डॉ. एम. मथिवेंथन; माननीय सांसद श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर; विभिन्न केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि; तथा गैर-सरकारी सदस्य शामिल थे। सचिव ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया, जिनमें वर्चुअल माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिनिधि भी शामिल थे।

3. अपने परिचयात्मक संबोधन में, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने माननीय मंत्री, माननीय राज्य मंत्री, बोर्ड के सदस्यों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने देश भर में 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन और सुदृढ़ीकरण में 'केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड' की महत्वपूर्ण वैधानिक भूमिका पर प्रकाश डाला, और इस बात पर बल दिया कि यह बोर्ड नीतिगत संवाद, अंतर-सरकारी समन्वय और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य हितधारकों के विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

4. सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बैठक के दौरान विचार-विमर्श के लिए प्रस्तावित प्रमुख मुद्दों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें समावेशी शिक्षा, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप, सुगम्यता, सामाजिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी का उपयोग और प्रमुख योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल था। उन्होंने सूचित किया कि यह एजेंडा केवल योजनाओं की नियमित समीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें विशिष्ट पहलों जैसे कि विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) परियोजना और समय पर प्रमाणन में आने वाली बाधाओं को सामूहिक रूप से दूर करने के उपायों, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में एआई का लाभ उठाने, समावेशी शिक्षा आदि पर केंद्रित चर्चाएं शामिल होंगी। उन्होंने सदस्यों को एजेंडा मदों और अन्य मुद्दों पर अपने सुझाव और इनपुट साझा करने के लिए भी आमंत्रित किया। इस बात पर जोर देते हुए कि 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' का प्रभावी और समान कार्यान्वयन एक साझा जिम्मेदारी है; उन्होंने उल्लेख किया कि न्यायपालिका ने भी बार-बार इस अधिनियम के कडाई से अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया है। सचिव ने राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों द्वारा 'क्रॉस-लर्निंग' (एक-दूसरे से सीखने) और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया और सदस्यों को आश्वासन दिया कि सभी सुझावों पर उचित विचार किया जाएगा, और विभाग दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा। .

5. श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं सदस्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के विचार-विमर्श के लिए प्रत्येक एजेंडा बिंदु पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। प्रस्तुति की एक प्रति **अनुबंध-II** पर है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष चर्चा के लिए निम्नलिखित एजेंडा मदें दी गईं हैं:-

1. दिनांक 15.12.2024 को आयोजित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
2. यूडीआईडी परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन
3. एडिप योजना से संबंधित मुद्दे
4. एआईसी-सिपडा से संबंधित मुद्दे
5. शीघ्र पहचान के दायरे का विस्तार
6. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास में एआई का उपयोग
7. समावेशी शिक्षा
8. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की नई पहलें

6. प्रस्तुति के पश्चात, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु चर्चा के लिए मंच खुला रखा गया। बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों/बातों का सार निम्नानुसार है :

डॉ. एम. मथिवेंथन, माननीय आदि द्रविड़ कल्याण मंत्री, तमिलनाडु सरकार

6.1 माननीय मंत्री ने यूडीआईडी डेटाबेस के लिए प्रदान की गई 'टू-वे एपीआई एक्सेस' के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू की, जिसने प्रभावी डेटा सत्यापन की सुविधा प्रदान की है और डेटा की डुप्लीकेशन को कम किया है। उन्होंने विचारार्थ निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए:

(i) राज्य द्वारा सत्यापित सूचियों के आधार पर केंद्रीय स्तर पर यूडीआईडी रिकॉर्ड को “Deceased” अर्थात् "मृत" के रूप में एक साथ चिह्नित करने या हटाने की सुविधा प्रदान करना, क्योंकि वर्तमान प्रणाली में केवल एक-एक करके निष्क्रिय करने की अनुमति है;

[कार्रवाई: यूडीआईडी प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

(ii) गतिविषयक (लोकोमोटर) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की गतिशीलता में सहायता के लिए मोटर वाहनों पर जीएसटी छूट को फिर से शुरू करना, जिसे सितंबर 2025 से वापस ले लिया गया था; [कार्रवाई: वित्त मंत्रालय]

(iii) 'श्रवण यंत्रों' की तरह ही दिव्यांगजनों के लिए सभी सहायक उपकरणों पर जीएसटी छूट का विस्तार करना, और ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करने वाले निजी प्रतिष्ठानों के लिए प्रोत्साहन योजना को पुनर्जीवित करना; [कार्रवाई: एडिप प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, वित्त मंत्रालय]

(iv) निजी प्रतिष्ठानों के लिए प्रोत्साहन योजना पर पुनर्विचार करना और उसे पुनर्जीवित करना; [कार्रवाई: सिपडा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

(v) राज्य यूडीआईडी समन्वयक के ₹9 लाख के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान करना; [कार्रवाई: यूडीआईडी प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

(vi) राज्य-स्तरीय सहायक उपकरण वितरण को एकीकृत करने के लिए अर्जुन पोर्टल तक पहुंच प्रदान करना; [कार्रवाई: एडिप प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

(vii) 'भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम' के तहत शिकायतें दर्ज करने के लिए 'दिव्यांगजन कल्याण आयुक्तालय' के उप निदेशक को पदेन व्यक्ति के रूप में अधिकृत करना; [कार्रवाई: डीआईआर प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग; आरसीआई]

(viii) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के तहत तमिलनाडु के 'स्टेट अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक' को ₹50 करोड़ जारी करना; [कार्रवाई: एनडीएफडीसी; एजीपी अनुभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

(ix) राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए सालाना ₹2.21 करोड़ की राशि प्रदान करना; [कार्रवाई: नीति प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

(x) नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को सुव्यवस्थित करना ताकि आवेदनों के गलत आवंटन और पात्र आवेदनों की अस्वीकृति को रोका जा सके; [कार्रवाई: छात्रवृत्ति प्रभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

(xi) मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सुगम्य भारत अभियान के तहत शेष अनुदान जारी करना; [कार्रवाई: एआईसी प्रभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

माननीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर अनुकूल विचार करने का अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त की।

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, माननीय सांसद (केरल) एवं सदस्य, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

6.2 **माननीय सांसद** ने विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के संबंध में की गई पहलों की सराहना की। उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और हितधारकों के बीच मजबूत समन्वय और संमिलन की आवश्यकता पर बल दिया और उल्लेख किया कि सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण के लिए एकीकृत और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य हैं।

6.3 माननीय सदस्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के प्रावधानों में दिव्यांगजनों और दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहायक कौशल, सहायक उपकरण, पुनर्वास सेवाएं और समावेशी सहायता तंत्र एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के अभिन्न अंग होने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने केरल राज्य में एक राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) की स्थापना का अनुरोध किया।

.

[कार्रवाई: राष्ट्रीय संस्थान प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से]

6.4 उन्होंने आगे दृढ़ता से यह सिफारिश की कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक समावेशन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु एकीकृत प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय बढ़ा सकता है, जिससे जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी सक्षम हो सके।

[कार्रवाई: यूडीआईडी, एडिप, डीआईआर प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और भारतीय पुनर्वास परिषद]

श्री तुकाराम एच. मुंडे, सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग

6.5 श्री तुकाराम एच. मुंडे ने यूडीआईडी, अर्जुन, आरसीआई आदि पोर्टलों सहित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सभी प्लेटफार्मों के एपीआई-आधारित एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया और विभिन्न योजनाओं के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को इनकी पहुंच प्रदान करने का सुझाव दिया।

[कार्रवाई: आईटी/ एनआईसी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.6 उन्होंने इस बात पर बल दिया कि लाभार्थियों के समय पर सत्यापन और छात्रवृत्ति, वैवाहिक योजनाओं, कौशल विकास, स्व-रोजगार और रोजगार जैसी राज्य की योजनाओं के लिए यूडीआईडी डेटा का उपयोग करके सेवाओं और लाभों के कुशल वितरण के लिए एकीकृत यूडीआईडी डेटा तक सुरक्षित और सीधी पहुंच अनिवार्य है।

6.7 अर्जुन पोर्टल का संदर्भ देते हुए, उन्होंने डेटा सत्यापन और इसी तरह की राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण प्राप्त करने में राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। तदनुसार, उन्होंने निर्बाध डेटा सत्यापन, अभिसरण और केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के लाभों के तालमेल को सक्षम करने के लिए एपीआई-आधारित पहुंच और एकीकरण सहित उपयुक्त तकनीकी समाधान प्रदान करने का अनुरोध किया।

[कार्रवाई: एडिप, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.8 उन्होंने आगे कहा कि एपीआई एकीकरण के माध्यम से यूडीआईडी डेटा तक पहुंच 'संजय गांधी निराधार योजना', सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में छूट, और सीईटी जैसी प्रतिस्पर्धी एवं प्रवेश परीक्षाओं तथा एमएसआरटीसी में रियायतें प्रदान करने के लिए सत्यापन प्रक्रियाओं सहित विभिन्न राज्य योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी, जिससे दिव्यांगजनों का सटीक प्रमाणीकरण और पात्र लाभार्थियों तक लाभ की बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।

6.9 श्री मुंडे ने मौजूदा यूडीआईडी प्रमाणन और शिकायत निवारण ढांचे के संबंध में भी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने सुझाव दिया कि यूडीआईडी कार्ड से संबंधित शिकायतों, विवादों या शिकायतों के समाधान के लिए यूडीआईडी इकोसिस्टम में "संदर्भ अधिकारियों" के रूप में एक अतिरिक्त संस्थागत स्तर शुरू करना आवश्यक है। वर्तमान में, ऐसे मामलों को केस-दर-केस आधार पर निपटाया जाता है। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में शिकायतों के समाधान और सत्यापन के लिए शिकायतों को भेजने हेतु यूडीआईडी में कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित प्राधिकरण या सुविधा मौजूद नहीं है।

6.10 उन्होंने यूडीआईडी एपीआई एकीकरण से संबंधित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में डेटा-साझाकरण प्रोटोकॉल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने गौर किया कि मौजूदा प्रक्रिया, जिसमें राज्यों को हितधारकों के साथ डेटा साझा करने के प्रत्येक मामले के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करना पड़ता है, समय लेने वाली है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक बार यूडीआईडी डेटा राज्य दिव्यांगजन विभाग/दिव्यांग कल्याण विभाग के साथ साझा किए जाने के बाद, राज्यों को कुशल सेवा वितरण की सुविधा के लिए निर्धारित मानदंडों और आवश्यकताओं के अनुसार अन्य राज्य विभागों के साथ ऐसे डेटा को साझा करने और एकीकृत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

[कार्रवाई: यूडीआईडी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.11 अंत में, उन्होंने यूडीआईडी डेटाबेस के 'मास्टर एक्सेस' का मुद्दा उठाया क्योंकि राज्यों को डेटा विश्लेषण के लिए हर बार केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करना पड़ता है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि राज्यों को मास्टर एक्सेस प्रदान किया जाए ताकि सेवाओं के वितरण, शिकायतों के निवारण और दिव्यांगजनों के मुद्दों के समाधान के लिए यूडीआईडी डेटा का बेहतर, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जा सके।

[कार्रवाई: यूडीआईडी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

श्री उदय प्रकाश, सक्षम राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड

6.12 श्री उदय ने सुझाव दिया कि अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और चिकित्सा पेशेवरों जैसे विभिन्न पेशेवर निकायों में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने एक उदाहरण उद्धृत किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'बार काउंसिल ऑफ इंडिया' को दिव्यांगजनों की भागीदारी सुगम्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार इन व्यवसायों में दिव्यांगजनों के अधिक समावेश को सक्षम और प्रोत्साहित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम और अन्य पेशेवर नियमों सहित प्रासंगिक अधिनियमों में उचित प्रस्ताव पारित करने और आवश्यक संशोधन शुरू करने पर विचार कर सकती है।

[कार्रवाई: नीति प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.13 उन्होंने माननीय न्यायाधीशों और विशेष लोक अभियोजकों को दिव्यांगता से संबंधित कानूनों और मुद्दों पर प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सूचित किया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पहले ही इस दिशा में कदम उठाए हैं और सुझाव दिया कि यह मंत्रालय भी दिव्यांगता अधिकार कानून के प्रभावी कार्यान्वयन और जागरूकता को और मजबूत करने के लिए विधि मंत्रालय के समन्वय में इसी तरह की पहल कर सकता है।

[कार्रवाई: नीति प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)]

सुश्री शशांका, सचिव, समाज कल्याण, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख

6.14 सुश्री शशांका ने बताया कि पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होने के बाद वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में कोई भी 'समेकित क्षेत्रीय केंद्र' (सीआरसी) कार्यात्मक नहीं है। इस संबंध में, यह अनुरोध किया गया कि जब तक लद्दाख में एक नया सीआरसी स्थापित नहीं हो जाता, तब तक जम्मू और कश्मीर के मौजूदा सीआरसी को संघ राज्य राज्य लद्दाख के दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दी जाए।

[कार्रवाई: राष्ट्रीय संस्थान प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

<u>श्री कुमारपाल मेहता, दिल्ली</u>

6.15 श्री कुमारपाल मेहता ने सुझाव दिया कि न्याय वितरण प्रणाली में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त सुविधाएं और प्रक्रियात्मक समायोजन प्रदान किए जाएं ताकि समय पर न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। यह अनुरोध किया गया कि विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय और संबंधित अदालतों को उचित व्यवस्था करने के लिए आवश्यक परामर्श जारी करे ताकि दिव्यांगजनों को बार-बार अदालत के चक्कर न लगाने पड़ें।

[कार्रवाई: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का नीति प्रभाग और न्याय विभाग]

<u>श्री ताहा हाज़िक, सचिव, दिव्यांगजन आयोग, गोवा सरकार</u>

6.16 श्री ताहा हाज़िक ने सिफारिश की कि भारत सरकार दिव्यांगजन राज्य आयुक्तों और मुख्य आयुक्त की शक्तियों को मजबूत करने के लिए उचित निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है, जिससे उनकी भूमिका को व्यापक रूप से केवल सिफारिशी से बदलकर अधिक निर्देशात्मक प्रकृति का बनाया जा सके।

[कार्रवाई: नीति प्रभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.17 यह भी सुझाव दिया गया कि निरंतरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के लिए दिव्यांगजन राज्य आयुक्तों के कार्यालयों हेतु एक मानकीकृत संगठनात्मक और कार्यात्मक संरचना समान रूप से निर्धारित की जा सकती है।

[कार्रवाई: नीति प्रभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.18 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 88 के तहत राज्य और राष्ट्रीय निधियों के संदर्भ में, श्री हाज़िक ने राज्यों द्वारा निधियों के अनिवार्य आवंटन के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी पर प्रकाश डाला। उनके द्वारा यह बताया गया कि स्पष्टता के अभाव में राज्य अलग-अलग पद्धतियों का पालन कर रहे हैं। इस संबंध में, यह सिफारिश की गई कि स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं जिसमें एक अनिवार्य आवंटन अनुपात, जैसे कि 3% या 5%, निर्दिष्ट किया जाए, जिसका सभी राज्यों द्वारा मौजूदा योजनाओं के अतिरिक्त एक समर्पित निधि बनाने के लिए समान रूप से पालन किया जाए।

[कार्रवाई: नीति प्रभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.19 उन्होंने 'यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग' (सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन) के सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित करके समावेशी शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सभी शिक्षार्थियों के लिए सुगम्यता और समावेशिता सुनिश्चित की जा सके।

[कार्रवाई: शिक्षा मंत्रालय]

6.20 श्री हाज़िक ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के भारत स्थित कार्यालय के सहयोग से आयोजित 'इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट' के सफल आयोजन की सराहना की और सूचित

किया कि इस कार्यक्रम में चार दिनों के दौरान आयोजित लगभग 270 कार्यक्रमों के माध्यम से एक लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया।

6.21 उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पर न्यायाधीशों के प्रशिक्षण और संवेदीकरण के महत्व पर भी जोर दिया और सूचित किया कि गोवा राज्य के सभी न्यायाधीशों के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी शनिवार को आयोजित किया जाना निर्धारित है।

<u>प्रोफेसर दयाल सिंह पंवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 'सक्षम'</u>

6.22 सदस्य ने दिव्यांगजनों के लिए भारतीय ब्रेल परिषद के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कुछ समय पहले परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इस संबंध में, उन्होंने अनुरोध किया कि भारतीय ब्रेल परिषद को जल्द से जल्द पुन: स्थापित किया जाए।

[कार्रवाई: ब्रेल/एडिप प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.23 सदस्य ने आगे अनुरोध किया कि ब्रेल से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों और नवीन समाधानों को एडिप (ADIP) योजना के तहत शामिल किया जा सकता है ताकि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता बढ़ाई जा सके।

[कार्रवाई: ब्रेल/एडिप प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.24 सदस्य ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त और एनआईईपीवीडी (NIEPVD) के निदेशकों सहित कई प्रमुख पद वर्तमान में रिक्त हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि संस्थानों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए।

[कार्रवाई: नीति प्रभाग; एनआई प्रभाग; निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.25 उन्होंने यह भी बताया कि एनआईईपीवीडी (NIEPVD), देहरादून में ब्रेल पुस्तकों और सहायक उपकरणों की कीमतों में लगभग सोलह गुना वृद्धि हुई है और अनुरोध किया कि इस संशोधन पर पुनर्विचार किया जाए ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को इन वस्तुओं को खरीदने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

[कार्रवाई: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एनआई प्रभाग]

<u>सुरेश पाटिल, महाराष्ट्र</u>

6.26 सदस्य ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों (अर्ली इंटरवेंशन सेंटर) पर ध्यान देने का अनुरोध किया और कहा कि इन केंद्रों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इन केंद्रों के उचित मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि जरूरतमंद दिव्यांगजनों तक इनकी पहुंच बढ़ाई जा सके।

[कार्रवाई: डीआईआर प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.27 यह सुझाव दिया गया कि डाक विभाग गतिविषयक दिव्यांगता (लोकोमोटर डिसेबिलिटी) वाले व्यक्तियों, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, जो नियमित वित्तीय संस्थानों तक पहुँचने में असमर्थ हैं, उनके लिए उपयुक्त बचत या जमा योजना शुरू करने पर विचार कर सकता है।

[कार्रवाई: डाक विभाग]

6.28 सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि भारत सरकार दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान कर सकती है।

[कार्रवाई: कौशल प्रभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

डॉ. अविनाश वाचसुंदर, पुणे, महाराष्ट्र

6.29 सदस्य ने बताया कि पिछले दो वर्षों से कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी नहीं की गई है और अनुरोध किया कि एडिप (ADIP) योजना के तहत कॉकलियर इम्प्लांट का प्रावधान जारी रखा जाए, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट श्रवण बाधित बच्चों के जीवन और विकास में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।

[कार्रवाई: एडिप (ADIP) प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.30 सदस्य ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष शिक्षकों की भारी कमी, पर प्रकाश डाला और प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों की उपलब्धता के माध्यम से समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया।

[कार्रवाई: राज्य सरकारें]

6.31 श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के संदर्भ में, सदस्य ने कहा कि जहाँ पहले बच्चों को अधिक आयु में प्रवेश दिया जाता था, वहीं शीघ्र पहचान में प्रगति के कारण अब छह से दस महीने के शिशुओं को भी हस्तक्षेप (intervention) की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि मौजूदा विशेष स्कूलों को प्रारंभिक हस्तक्षेप और प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्री-स्कूल स्तर की सेवाएं प्रदान करने हेतु सशक्त बनाया जाए।

[कार्रवाई: राज्य सरकारें; शिक्षा मंत्रालय; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का डीआईआर (DIR) प्रभाग]

जयसिंह कृष्णरावजी चव्हाण, महाराष्ट्र, सीएबी (CAB) सदस्य

6.32 सदस्य ने सिफारिश की कि राज्यों को आवंटित अनप्रयुक्त निधि का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए किया जा सकता है।

[कार्रवाई: व्यय विभाग]

सुश्री नोरमित लेप्चा, प्रधान निदेशक-सह-सचिव, सिक्किम दिव्यांगजन विभाग

6.33 सुश्री नोरमित लेप्चा ने सूचित किया कि राज्य ने पहले ही एक समेकित क्षेत्रीय केंद्र (CRC) की स्थापना के लिए भूमि की पहचान कर ली है, और अनुरोध किया कि अनुमोदन और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया को जल्द से जल्द तेज किया जाए, क्योंकि भूमि वर्तमान में खाली पड़ी है और अन्य विभाग इसके उपयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[कार्रवाई: एनआई प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.34 उन्होंने आगे बताया कि सुगम्य भारत अभियान के तहत दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं और अनुरोध किया कि कृपया उनकी जल्द से जल्द जांच और प्रक्रिया की जाए।

[कार्रवाई: एआईसी (AIC) प्रभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

<u>सुश्री इरा सिंघल, शिक्षा मंत्रालय</u>

6.35 सुश्री इरा ने सूचित किया कि ब्लॉक संसाधन केंद्रों (BRCs) के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं और कहा कि बीआरसी (BRCs) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (CRCs) के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। इस बात पर जोर दिया गया कि सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए सीआरसी (CRCs) के जनादेश और विशेषज्ञता को बीआरसी (BRCs) के कामकाज में उचित रूप से एकीकृत किया जा सकता है।

[कार्रवाई: शिक्षा मंत्रालय और एनआई प्रभाग (NI) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

6.36 उन्होंने आगे सूचित किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत, दिव्यांग बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए कई उपचारों और उपचार विधियों (therapies) को संशोधित योजना मापदंडों में शामिल किया गया है। यह अनुरोध किया गया कि राज्य अपने संबंधित स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय करें ताकि पीएमजेएवाई (PMJAY) के तहत 5 लाख रुपये तक के कवरेज का लाभ उठाया जा सके, ताकि बीआरसी (BRCs) के माध्यम से ऐसी थेरेपी प्रदान की जा सकें, विशेष रूप से इन सेवाओं के मुफ्त प्रावधान के लिए सीमित संसाधनों को देखते हुए।

[कार्रवाई: राज्य सरकारें]

<u>डॉ. रूपाली रॉय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</u>

6.37 डॉ. रूपाली ने स्पष्ट किया कि पीएमजेएवाई (PMJAY) के तहत कई बीमारियों को कवर किया गया है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण दिव्यांगजनों को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मंत्रालय पीएमजेएवाई (PMJAY) के तहत सूचीबद्ध विभिन्न बीमारियों की सूची साझा करेगा।

<u>सुश्री मनमीत कौर नंदा, अपर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की टिप्पणी</u>

6.38 अपर सचिव सुश्री मनमीत कौर नंदा ने सूचित किया कि सुगम्य भारत अभियान (AIC) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जून से अगस्त महीने के बीच पहले ही निधि प्रदान कर दी गई है और 3-4 समीक्षा बैठकें भी हो चुकी हैं, हालांकि, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी तक निधि का उपयोग नहीं किया गया है। इस संबंध में, उनके द्वारा और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अर्ध-शासकीय (DO) पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने 31.03.2026 से पहले निधि का उचित उपयोग करने का अनुरोध किया क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति के बाद निधि भारत की संचित निधि में वापस भेज दी जाएगी और निधि प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराना होगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दूसरी किस्त की आवश्यकता वाले राज्यों को पहली किस्त के उपयोग प्रमाण पत्र के साथ एक पूर्ण प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता है। उन्होंने निधि के उचित उपयोग का भी अनुरोध किया क्योंकि सुगम्य शौचालय और अन्य सुगम्यता सुविधाएं बनाने के लिए 'हार्मोनाइज्ड गाइडलाइन्स' का पालन नहीं किया जा रहा है।

[कार्रवाई: राज्य सरकारें]

7. **माननीय राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा** ने बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत किया और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) की बैठक के महत्व पर प्रकाश डाला, जो सदस्यों को अब तक की गई कार्रवाई के विवरण से अवगत कराने और भविष्य में की जाने वाली कार्रवाइयों का रोडमैप तय करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने उल्लेख किया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लागू होने के साथ ही भारत सरकार का जनादेश नीति निर्धारण से बढ़कर अधिनियम के प्रावधानों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन तक विस्तृत हो गया है। उन्होंने उपयोग प्रमाण पत्र (UC) समय पर जमा करने के महत्व और पीएमडीके (PMDK) केंद्रों तथा उनके प्रभावी कामकाज के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्यों द्वारा यूडीआईडी (UDID) प्रमाणीकरण में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कैसे एडिप के तहत 19700 शिविरों ने 33 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है। माननीय राज्य मंत्री ने देश के समग्र विकास में माननीय प्रधानमंत्री के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सामूहिक प्रयास" के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला और बताया कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना कितना महत्वपूर्ण है ताकि वे राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने अपनी बात यह कहते हुए समाप्त की कि सभी संबंधित पक्ष अगली सीएबी (CAB) बैठक से पहले बोर्ड के सदस्यों द्वारा दी गई सिफारिशों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें।

8. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय मंत्रियों, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों, राज्यों/एनजीओ के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों का अभिवादन किया और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, एनजीओ और अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बैठक के दौरान साझा किए गए बहुमूल्य सुझावों, चिंताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वीकार किया और बोर्ड को आश्वासन दिया कि उठाए गए सभी मुद्दों की विभाग द्वारा सकारात्मक रूप से जांच की जाएगी और संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के समन्वय से उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

9. उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए, विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्रों के समग्र विकास के महत्व पर जोर देता है और देशभर के अन्य क्षेत्रों की तरह उस क्षेत्र में भी योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से इस लक्ष्य को साकार करने के लिए काम कर रहा है।

10. सीएबी (CAB) सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को स्वीकार करते हुए, उन्होंने ब्रेल पुस्तकों की कीमत में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। माननीय प्रधानमंत्री के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सामूहिक प्रयास" के विजन और आत्मनिर्भर भारत @2047 के लक्ष्य पर जोर देते हुए, माननीय मंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए अपनी दिव्यांगता को शक्ति में बदलकर आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने आगे इच्छा व्यक्त की कि दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अगली बैठक पूरे दिन की बैठक के रूप में नियोजित की जाए और केंद्रित एवं विस्तृत विचार-विमर्श के साथ किसी अन्य राज्य में आयोजित की जाए।

11. बैठक सदस्य-सचिव, सीएबी (CAB) और संयुक्त सचिव (नीति), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

<u>अनुबंध – I</u>

प्रतिभागियों की सूची

क्र.सं.	प्रतिभागियों का विवरण
1.	**डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय मंत्री (SJE), भारत सरकार, अध्यक्ष**
2.	**श्री बी.एल. वर्मा, माननीय राज्य मंत्री (SJE), भारत सरकार**
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय मंत्री/सांसद	
3.	श्री ई टी मोहम्मद बशीर, माननीय सांसद (केरल)
4.	डॉ. एम. मथिवेंथन, माननीय आदि द्रविड़ कल्याण मंत्री, तमिलनाडु सरकार
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सदस्य/प्रतिनिधि	
5.	सुश्री वी विद्यावती, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग- सदस्य
6.	श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग- सदस्य सचिव
7.	श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
8.	डॉ. रूपाली, एडीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
9.	डॉ. लवनीश, एडीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
10.	श्री संजय कुमार, अनुभाग अधिकारी, दूरसंचार विभाग
11.	सुश्री प्रभा शर्मा, एडीजी, डाक विभाग
12.	श्री सुनील कुमार मीणा, अनुभाग अधिकारी, डाक विभाग

13.	श्री नातला सुधीर रेड्डी, वैज्ञानिक-सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
14.	श्रीमती इरा सिंघल, उप सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
15.	श्री राजीव बलरी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
16.	श्री एके गोपाल, उप सचिव, डीओपीटी (DoPT)
17.	श्री एके सिन्हा, अवर सचिव, डीओपीटी (DoPT)
18.	श्री सुशील कुमार कालरा, निदेशक, डीपीआईआईटी (DPIIT)
19.	डॉ. अनिता अग्रवाल, विभागाध्यक्ष (SEED), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
20.	श्री प्रतीक कुमार तिवारी, आईसीएस, कानूनी मामले विभाग
21.	श्री अरविंद कुमार, उप सचिव, नीति आयोग
22.	डॉ. आर शिल्पा मनोग्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, एनसीईआरटी (NCERT)
23.	श्री रोशन कुमार, उप सचिव, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
24.	श्री पीयूष कपासी, निदेशक, रेलवे बोर्ड
25.	श्री कुणाल सोनी, निदेशक, रेलवे बोर्ड
26.	श्री गौतम मंडल, संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड
27.	श्री आदर्श चौरसिया, सहायक अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्य/प्रतिनिधि	
28.	श्री रवि प्रकाश रेड्डी, निदेशक, महिला, बाल एवं दिव्यांगजन मंत्रालय, आंध्र प्रदेश
29.	डॉ. कुलश्री नाथ, एसीएस, सचिव, समाज कल्याण विभाग (असम)
30.	श्री भुवन कुमार, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार
31.	डॉ. पलिका अरोड़ा, निदेशक, समाज कल्याण, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
32.	श्री शाम रावत, नोडल अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
33.	श्री कुमार पाल मेहता, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली
34.	श्री ताहा आई हाज़िक, आयुक्त, एससीपीडी (SCPD) कार्यालय, गोवा
35.	श्री अर्पित गहलावत, संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय विभाग, हरियाणा सरकार
36.	श्री सुरेश शर्मा, संयुक्त निदेशक, अनुसूचित जाति/ओबीसी/दिव्यांग सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश
37.	श्रीमती नचिकेता मिश्रा, नोडल अधिकारी, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार
38.	डॉ. के मुनियप्पा, सदस्य, महिला, बाल और दिव्यांग विकास विभाग, कर्नाटक सरकार
39.	सुश्री शशांक अला, प्रशासनिक सचिव, सामाजिक एवं जनजातीय कल्याण विभाग, लद्दाख
40.	श्री तुकाराम मुंडे, सचिव, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार
41.	श्रीमती ब्रिजेट वारशोंग, उप आयुक्त (दिव्यांगजन), समाज कल्याण विभाग, मेघालय
42.	श्री प्रवीण बख्शी, आयुक्त (दिव्यांगजन), समाज कल्याण विभाग, मेघालय

43.	एस. रागिनी, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र
44.	जी. भारती, समाज कल्याण विभाग, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र
45.	श्रीमती नोरपित लेप्चा, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार
46.	श्रीमती ताशी डोमा भूटिया, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार
47.	पी. थिनेश कन्नन, कानूनी सलाहकार, आदि द्रविड़ कल्याण, तमिलनाडु सरकार
48.	श्री शिवरामन, डॉ. एम मथिवेंथन के निजी सहायक, तमिलनाडु सरकार
49.	श्री राजेश कन्नन, अधिकारी, आदि द्रविड़ कल्याण, तमिलनाडु सरकार
50.	डॉ. प्रीब्लता, उप निदेशक, ईपीडब्ल्यूडी (EPWD) विभाग, उत्तर प्रदेश
51.	श्री खुर्शीद सनाई, अतिरिक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
52.	डॉ. अर्चना यादव, आयुक्त (दिव्यांगजन), छत्तीसगढ़ सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और स्वायत्त संगठनों के सदस्य/प्रतिनिधि	
53.	डॉ. एस. गोविंदराज, सीसीपीडी (CCPD), नई दिल्ली
54.	डॉ. जितेंद्र शर्मा, निदेशक, पीडीयूएनआईपीपीडी (PDUNIPPD), नई दिल्ली
55.	डॉ. ललित नारायण, निदेशक, एनआईएलडी (NILD), कोलकाता
56.	श्री अनिल कुमार, सीएमडी, एनडीएफडीसी (NDFDC), नई दिल्ली
57.	डॉ. विनीत राणा, सीएमडी, एनडीएफडीसी (NDFDC), नई दिल्ली
58.	डॉ. अखिलेश शुक्ला, एनआईएमएचआर (NIMHR) सीहोर
59.	डॉ. सुमन कुमार, निदेशक, एवाईजेएनआईएसएचडी (AYJNISHD)
60.	डॉ. नचिकेत राउत, निदेशक, एनआईईपीएमडी (NIEPMD) चेन्नई
61.	डॉ. बी. वी. राम कुमार, निदेशक, एनआईईपीआईडी (NIEPID) सिकंदराबाद
62.	डॉ. के. सी. महापात्र, निदेशक, एसवीएनआईआरटीएआर (SVNIRTAR), ओडिशा
63.	श्री कुमार राजू, निदेशक, आईएसएलआरटीसी (ISLRTC), नई दिल्ली
64.	श्री संजय कुमार, उप निदेशक, आईएसएलआरटीसी (ISLRTC), नई दिल्ली
नामित सदस्य	
65.	श्री दयाल सिंह पंवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सक्षम
66.	श्री सुरेश पाटिल, महाराष्ट्र
67.	श्री जयसिंह कृष्णरावजी चव्हाण, महाराष्ट्र
68.	डॉ. ए.एम. वाचसुंदर, महाराष्ट्र
69.	डॉ. उदय प्रकाश वारुंजीकर, महाराष्ट्र

****

सत्यमेव जयते

Ministry of Social Justice & Empowerment

Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Govt. of India

8th Meeting of the Central Advisory Board on Disability

Chaired By: Dr. Virendra Kumar

Hon’ble Minister (Social Justice and Empowerment),

Govt. of India

08.01.2026

Agenda points for 8th CAB

सत्यमेव जयते

1 Action Taken Report On 7th CAB discussions

2 UDID Implementation

3 Issues pertaining to ADIP scheme

4 AIC-SIPDA Implementation Challenges

5 Early Identification & Intervention (0-6 YEARS)

6 Use of AI in Empowerment and Rehabilitation

7 Inclusive Education

8 New Initiatives of DEPWD

Agenda Item 1: Action Taken Report on 7th CAB discussions

Key Issues Discussed

- Expansion of PMDKs in state hospitals, and using the ARJUN portal under the ADIP scheme to track beneficiaries

- Boosting innovation and affordability in assistive technology

- Strict implementation of the statutory 4% reservation for Persons with Disabilities in government jobs and improving the NDFDC loan scheme to boost self-employment

सत्यमेव जयते

Key ATR Points

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD)

- **Expanded** PMDKs to **100** centers (including 17 in state hospitals such as Aizawl and Chennai), **onboarded Delhi and Rajasthan on the ARJUN portal**, and continued review of cochlear implant operations under ADIP along with an impact evaluation.

- **Modernized ALIMCO product lines** (colorful prosthetics, lightweight walkers, AI-enabled vision glasses), supported self-employment via motorized clip-on wheelchairs, and secured ISO and BIS certifications for 19 product categories with more in process.

सत्यमेव जयते

Key ATR Points

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) (contd..)

- Directed National Institutes, CRCs, National Trust, NDFDC, CCPD and others to regularly inform CAB members of initiatives, and ensured circulars, notifications, and key events are updated on the website and social media.

- Established a data-sharing interface with Tamil Nadu for UDID and launched DISLI/DTISL through ISLRTC, national institutes, and CRCs, creating annual capacity for about 840 interpreters and 220 deaf teachers (around 1,000 professionals a year)

सत्यमेव जयते

Key ATR Points

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD)

- Post Identification Guidelines for uniform and effective implementation of reservation policy issued in Nov 2024 and circulated to all State/Uts/Central Ministry/Department for compliance.

- The list of identified posts dated 04.01.2021 is currently under review.

सत्यमेव जयते

Key ATR Points

State Implementation Highlights

- **Uttar Pradesh:** 1.4 million UDID cards issued; 4% reservation reconfirmed in government jobs
- **Delhi:** "Sugamya Sahayak Scheme" launched; 5-year MoU with ALIMCO for aids/appliances
- **Lakshadweep:** ALIMCO Rehabilitation Centre operational; accessibility ramps n all govt institutions

सत्यमेव जयते

Key ATR Points

State Implementation Highlights

- **Puducherry, Himachal Pradesh, Goa, Bihar, Sikkim:** District-level certification centers, backlog resolution, festival programs for economic empowerment

- **Madhya Pradesh:** Awareness about schemes like DDRS, UDID; encouraging PwD athletes for training at CDS Gwalior

- **Tamil Nadu :** Opening of CRC and ALIMCO facilities, extensive ADIP assistive device coverage, implemented reservation in promotions, repeal of discriminatory laws, vocational training for persons with intellectual disabilities, and complete compliance with SC order in Seema Girijalal case.

Key ATR Points

Central Ministries/Departments

- The **Ministry of Education** strengthened Inclusive Education under Samagra Shiksha, notified pupil-teacher ratios for special educators, complied with Supreme Court directions on teacher recruitment, launched PM e-Vidya DTH Channel 31 for hearing-impaired learners, and coordinated ISL curriculum and national consultations on CwSN.

- The **Ministry of Rural Development (NSAP)** continued IGNDPS, providing central disability pensions of Rs. 300 per month (18–79 years) and Rs. 500 per month (80+ years) to eligible BPL persons with 80% and above disability.

Contd....

Key ATR Points

Central Ministries/Departments (contd..)

- The **Ministry of Youth Affairs and Sports** instructed its bodies to publicize and facilitate use of the Centre for Disability Sports, Gwalior, by youth with disabilities.

- The **Ministry of Law and Justice** initiated collaboration with National and State Judicial Academies and disability organizations to train judicial officers and public prosecutors on handling PwD-related matters and circulated instructions to state Law Secretaries.

सत्यमेव जयते

Agenda Item 2: UDID Implementation

5 Key Points

- **Board Sittings:** Mandate weekly boards; allow bi-weekly/daily in high-pendency districts
- **Private Specialists:** Empanel private medical professionals per March 2024 guidelines
- **Hospital Network:** Notify additional CHCs, PHCs & district hospitals in rural/semi-urban areas
- **Monitoring:** Implement robust state-level oversight with regular audits & accountability
- **Awareness:** Launch targeted campaigns through community outreach, media & local networks

Outcome: Expanded assessment boards, wider hospital network, rural access, strict monitoring, and awareness campaigns together speed assessments, cut backlogs, and improve nationwide disability certificate accessibility.

सत्यमेव जयते

UDID initiatives

- **Self-service smart dashboard** implemented for ease of Divyang citizens
- **Advisory cum SOP** to handle the cases of PwBD candidates applying for jobs or admission
- Mandatory **Phone numbers and Aadhaar** for better connect with applicant and prevent duplicacy.

Contd.....

सत्यमेव जयते

Contd.....

UDID initiatives

- Process of re-opening of UDID card application after generation of card is stopped to prevent fake cases, if any.
- API being shared with various state and central departments on demand.
- Aadhaar API is being used to pre-fill certain fields for ease of Divyang applicants.
- Facility of bulk download of data is being provided to each state in respect of their data

सत्यमेव जयते

Agenda Item 3: Issues pertaining to ADIP scheme

- **PMDK Expansion** - Geographic coverage strategy (across country including NE), state responsibilities, and expected outcomes
- (planning to open total **300 PMDKs** by 2029-30)

- **ADIP-SSA Funding** - Addressing delays in fund transfers for children with special needs, with special focus on NE states

- **Arjun Portal Adoption** - Digital platform for preventing duplicate allocations, current status, and implementation steps; only two States (Delhi and Rajasthan) have onboarded; other States to take proactive steps to the onboarding

Contd....

सत्यमेव जयते

Contd.....

Agenda Item 3: Issues pertaining to ADIP scheme

- **Block/Village-Level Implementation** - District administration support, camp logistics, and specialized approach for NE region
- **Scheme Convergence** - Using multiple funding sources (state schemes, CSR, MP/MLA funds) for better quality devices
- **NE Region Engagement** - Increasing camp requests through proactive beneficiary identification and representative engagement
- **UDID Integration** - Linking disability certification with assistive device eligibility to reduce bureaucratic delays

सत्यमेव जयते

Contd.....

Agenda Item 4: AIC-SIPDA implementation challenges

Challenge 1: Delayed and Incomplete Proposal

- States/UTs and implementing agencies submit proposals late or with incomplete information
- Causes processing delays and fund allocation postponements
- Reduces ability to plan interventions effectively
- Delay in execution of work once GIA is released for any proposal

(contd...)

सत्यमेव जयते

Contd.....

Agenda Item 4: AIC-SIPDA implementation challenges (contd...)

Challenge 2: Pending Utilization Certificates (UCs)

- Release of further funds contingent on receipt of UCs for earlier releases
- States and UTs delay in submitting UCs
- Creates bottleneck in fund flow and implementation

(contd...)

Contd.....

Agenda Item 4: AIC-SIPDA implementation challenges

Challenge 3: Inadequate Proposals from North-Eastern States

- Particularly insufficient proposals from NE region
- Affects overall utilization of allocated funds
- Results in underutilization of scheme benefits in NE

(contd...)

सत्यमेव जयते

Contd.....

Agenda Item 4: AIC-SIPDA implementation challenges

Recommended Actions

- State governments must establish systems for timely proposal submission
- Dedicated officers for proposal preparation and timely UC submission along with additional demands
- Quarterly compliance reviews
- Capacity building for implementing agencies
- Clear timelines and accountability mechanisms

सत्यमेव जयते

Agenda Item 5: Early Identification & Intervention (0-6 YEARS)

Understanding the Scale and Urgency

- Sets context: 20.42 lakh children with disabilities vs. only 28 CDEICs
- Identifies the massive service gap (<0.2% coverage)
- Explains why CDEICs are needed as holistic solution

The Critical Window and Intervention Benefits

- Highlights 0-6 years as critical for brain development
- Cost-effectiveness and lifetime impact of early detection
- 5-7x better outcomes with early intervention
-

(contd...)

Contd.....

सत्यमेव जयते

Agenda Item 5: Early Identification & Intervention (0-6 YEARS)

Hub-and-Spoke Model with Multi-Sectoral Collaboration

- Details the implementation structure (Hub = CDEICs, Spokes = community screening)
- Explains MoHFW-DEPwD coordination roles
- Describes ASHA/ANM training and ICDS/POSHAN integration

Contd.....

सत्यमेव जयते

Agenda Item 5: Early Identification & Intervention (0-6 YEARS)

Strategy for phased expansion and expected outcome

- Sanctioned 28 CDEICs during current EFC cycle
- 2026-2030 timeline with pilot-scale-expand approach (27 new CDEICS)
- Capacity building strategy
- Comparative list of equipment, salary components of professionals proposed for enhancement in next EFC to attract professionals to work in field of CDEICs

सत्यमेव जयते

Contd.....

Agenda Item 5: Early Identification & Intervention (0-6 YEARS)

Strategy for phased expansion and expected outcome

- Quality improvements (school readiness, developmental outcomes)
- System integration benefits and stigma reduction
- Equitable access and foundational inclusive education
- Implemented 5% annual increment in salary component .
- Planned to hike the fixed infrastructure component for next EFC.

सत्यमेव जयते

Agenda Item 6: Use of AI in Empowerment and Rehabilitation

- The **India AI Mission (approved March 7, 2024)** seeks to make India a global AI leader
- **AI-powered assistive technologies and mobility solutions**—such as speech/text converters, smart readers, sign language tools, navigation apps, and advanced prosthetics
- Personalized learning and skilling use adaptive e-learning, **AI-driven vocational training, and tailored platforms to support education, skills, and employment readiness** for diverse disability profiles.

सत्यमेव जयते

Contd.....

Agenda Item 6: Use of AI in Empowerment and Rehabilitation

- Accessible digital governance is strengthened through **AI-based accessibility audits, smart kiosks for service navigation, data hubs, and feedback/chatbot systems** for real-time monitoring and grievance redress.

- The IndiaAI Application Development Initiative promotes innovation and entrepreneurship, including **PwD-led startups, open datasets, and pilot AI solutions** (such as six shortlisted tools for learning disabilities showcased in May 2025 with institutions like NIEPID).

सत्यमेव जयते

Contd.....

AI based initiatives by Institutions under DEPwD

- **ALIMCO** convened the **National conference "AI for Empowering PwDs"** in Bengaluru (30.05.2025) bringing together 151 stakeholders
- **ALIMCO** is deploying **GenAI powered coversational kiosks** to provide multilingual **voice/text self service support** for PwDs and sr. citizens
- Going forward, **ALIMCO** will embed auditable AI governance and inclusive design while deploying AI for smarter rehab devices, talent, and expert-led nationwide accessibility improvements.

सत्यमेव जयते

Contd.....

AI based initiatives by Institutions under DEPwD

- **AYJNISHD (D)** has initiated **collaboration with Google (Project Euphonia)** for **speech recognition** for persons with atypical speech(eg Parkinson, Amyotrophic later sclerosis).
- **AYJNISHD(D)** has signed **MoU with SVAR** for development of **AI powered speech therapy app.**
- **NIEPID uses Cognitive Botics** , an innovative AI based platform for **community rehabilitation and support services**

सत्यमेव जयते

Agenda Item 7: Inclusive Education Progress

ADIP-SSA Implementation Challenges

Focus: Ground-level implementation bottlenecks under the Aids & Assistive Devices scheme

Key issues:

- 60-40 funding structure delays and synchronization problems
- ALIMCO distribution delays forcing States to procure from open market
- UDID mandatory card requirement bottlenecks (especially for neuro-diverse children)
- Maintenance issues & transportation damage (particularly North East)
- Low awareness of ALIMCO products among schools/parents/educators
- Product gaps (ear moulds, corrective eyeglasses needed)

Recommendation: Fund flow mechanism revision, enhanced assessment capacity, multi-channel awareness campaigns

Contd.....

Agenda Item 7: Inclusive Education Progress (Contd...)

Inclusive Education Progress vs Persistent Challenges

Focus: NEP 2020 & RPwD Act implementation status and remaining barriers

Progress:

- 2,114,110 CWSN enrolled (though only 0.85% of total)
- Accessibility Code (January 2024) notified
- PTR norms implemented (1:10 primary, 1:15 secondary)
- 1,35,480 educators trained
- State innovations (Delhi mapping, Kerala home visits, Andhra Pradesh tech-driven)
- Tripartite MoU signed between DEPwD, NIOS and NCERT to create inclusive education ecosystem

सत्यमेव जयते

Contd.....

Agenda Item 7: Inclusive Education Progress (Contd...)

Inclusive Education Progress vs Persistent Challenges

Challenges:

- Limited CDEIC-BRC/CRC convergence;
- Transportation barriers;
- Rehabilitation professional shortages;
- Need for neuro-diverse child accommodations and
- Technology-driven device requirements

सत्यमेव जयते

Agenda 8 : New Initiative of DEPwD

World Braille Day (Jan 4)

10,000 docs accessible + AI-powered mobility apps + Braille in 14 languages

CRC Madurai (Jan 4)

Infrastructure expansion for rehab services in southern India

CRC Jaipur Foundation (Jan 15)

Infrastructure development for Divyangjan rehabilitation

Agenda 8 : New Initiative of DEPwD

ISLRTC International Symposium (Jan 12)

Global collaboration on sign language interpreter education

NIMHR Inauguration (Jan 17)

First specialized institute for mental health rehabilitation

23rd Divya Kala Mela (Jan 9-19)

Economic empowerment platform for Divyang entrepreneurs in Vadodara

सत्यमेव जयते

Agenda 8 : New Initiative of DEPwD

ISLRTC-NBT MoU (Feb 2025)

500 storybooks converted to ISL for Deaf children

24th Divya Kala Mela (Feb 14-24)

Extended to Jammu for geographic reach expansion

Announcement of ALIMCO Auxiliary Centre (Tripura) (March,1)

Local production capacity in North-East for aids/devices

Agenda 8 : New Initiative of DEPwD

AI for Empowering PwDs (May 30)

Global conference on AI applications for disability

Inclusive India Summit (May 15)

3 landmark MoUs for accessibility infrastructure with I for Humanity Foundation, Nipman Foundation and Young Leaders for Active Citizenship and Ramp my city Foundation

सत्यमेव जयते

Agenda 8 : New Initiative of DEPwD

DEPwD-NIOS-NCERT MoU (June 18)

Framework for NEP 2020 inclusive education implementation

Project Inclusion MoU (July 7)

Capacity building for educators and rehabilitation professionals

Agenda 8 : New Initiative of DEPwD

Research initiatives on Ayush practices September, 19

₹5.26 crore funded for integration of traditional healing practices

NIEPID-DISHA Curriculum Launch (October, 9)

Uniform curriculum for children with intellectual disabilities

Agenda 8 : New Initiative of DEPwD

Sugamya Bharat App Revamp

AI chatbot + integrated government schemes

Six New CDEICs Established

Expansion across Imphal, Madurai, Jaipur, Varanasi, Noida, Gwalior

सत्यमेव जयते

Thank You